

प्रेषक,

तहसीलदार,
डुण्डा।

सेवामें,

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
उत्तरकाशी।

संख्या ३३९/ना०ना०-विविध जांच पत्रा० /2021

दिनांक २६, फरवरी 2021

विषय— मा० मु०मं० घोषणा संख्या 917/2015 के अन्तर्गत डुण्डा-कुराह मोटर मार्ग का जखारी होते हुये ग्राम बल्ला तक नव निर्माण कार्य हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 4.60 है० सिविल सोयम भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

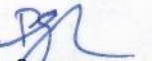
महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या 339/वन भूमि दिनांक 17.02.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा मा० मु०मं० घोषणा संख्या 917/2015 के अन्तर्गत डुण्डा-कुराह मोटर मार्ग का जखारी होते हुये ग्राम बल्ला तक नव निर्माण कार्य हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 4.60 है० सिविल सोयम भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सूचना चाही गई है। उक्त के क्रम में राजस्व उप निरीक्षक बीरपुर से जांच करवाई गई। रा०उ०नि० बीरपुर द्वारा अपनी जांच आख्या में उल्लेख किया गया है कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु ग्राम डुण्डा मध्ये बल्ला तक में 4.600 है० भूमि क्षति पुरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई, जिसका नक्शा, खसरा, नकल खतौनी संलग्न है।

अतः क्षति पुरक वृक्षारोपण प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवामें प्रेषित।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय


तहसीलदार,
डुण्डा।

[illegible][illegible]